न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 42/2020 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 15.12.2020
G.C.M.S. NO. :- 2020/00095

प्रेमदेवी विधवा पत्नि चम्पालाल जाति जाट, उम्र बालिग, निवासी जगपुरा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–निगराकार/प्रार्थीया

बनाम

1–ग्राम पंचायत रूद, तहसील राशमी जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत रूद, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–भंवरलाल पिता मांगीलाल जाति जाट, उम्र बालिग, निवासी जगपुरा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3–सीताराम पिता मांगीलाल जाति जाट, उम्र बालिग, निवासी जगपुरा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–गैर निगराकारगण/विपक्षीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम विरूद्ध पट्टा संख्या 670 दिनांक 05.09.2020 मि. नं. 13/23.07.2020 ग्राम पंचायत रूद, पंचायत समिति राशमी

उपस्थिति : 1–श्री राजेन्द्र कुमार राजोरा, अधिवक्ता निगराकार
2–श्री शिव नारायण जाट, अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 2 व 3

प्रकरण संख्या 42/2020 (नि.पं.)
प्रेमदेवी विधवा चम्पालाल जाट निवासी जगपुरा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ बनाम ग्राम पंचायत रूद, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत रूद, तहसील राशमी वगैरा

निर्णय

दिनांक 04.09.2024

निगराकार द्वारा यह निगरानी इस आशय की प्रस्तुत की है अधीनस्थ ग्राम पंचायत रूद, पंचायत समिति राशमी द्वारा गैर निगराकार/विपक्षी संख्या 2 व 3 के पक्ष मे जारी पट्टा संख्या 670 दिनांक 05.09.2020 न्याय नियम एवं वाक्याति तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा बिना जांच–पड़ताल के गैर निगराकार संख्या 2 व 3 के पक्ष में निगराकार/प्रार्थीया के पुश्तैनी हक, हिस्से व कब्जे की गुवाडी का बिना निगराकार को सूचना दिए पट्टा जारी कर दिया जो विधि–विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत रूद द्वारा गैर निगराकार संख्या 2 व 3 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 670 दिनांक 05.09.2020 निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारगण को सूचना पत्र जारी किये गये। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से विवादित पट्टे से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत रूद ने पट्टे से संबंधित रेकार्ड/अभिलेख प्रस्तुत किया। गैर निगराकार संख्या 1 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुआ। गैर निगराकार संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री शिव नारायण जाट ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। जवाब पेश होने से बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने कथन किया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत, रूद ने गैर निगराकार संख्या 2 व 3 के पक्ष में जो पट्टा जारी किया वो न्याय नियम एवं वाक्याति तथ्यों के विपरीत होने तथा अनियमितता पूर्ण कार्यवाही कर जारी करने से निरस्त योग्य है। ग्राम जगपुरा में निगराकार के ससुर उदयराम जी एवं उनके भाई अर्जुनराम जी जाट के संयुक्त स्वामित्व व कब्जे की एक पुरानी पुश्तैनी गुवाडी स्थित है जिसके पड़ौस पूर्व मेंः– रामेश्वर पिता लोभा जाट का नोहरा, पश्चिम मेंः– आम रास्ता, उत्तर मेंः– अनिल पिता रामलाल जाट का मकान एवं दक्षिण मेंः– माधु पिता हीरालाल जाट

का मकान है। उक्त गुवाडी के आधे हिस्सेदार निगराकार के छोटे ससुर अर्जुनलाल जी थे जिनके चार पुत्र मांगीलाल, पन्नालाल, नानालाल एवं निगराकार के स्वर्गीय पति चम्पालाल हुए तथा निगराकार के ससुर उदयराम जी के कोई लड़का नहीं होने से अर्जुनलाल जी की सहमति से निगराकार के पति स्व. चम्पालाल जी को उदयराम जी के यहां गोद रखा जिससे उक्त गुवाडी में निगराकार व उसकी पुत्रियों का का आधा हिस्सा निहित है। उक्त बात की जानकारी होते हुए भी अधीनस्थ ग्राम पंचायत के सरपंच जो कि निगरकार के समाज के ही हैं ने सम्पूर्ण जानकारी होते हुए भी निगराकार को नुकसान पहुंचाने की नियत से गैर निगराकार संख्या 2 व 3 से लाखों रूपये की रिश्वत लेकर उनके पक्ष में पट्टा जारी कर दिया जो निरस्त योग्य है। पटटेधारी गैर निगराकार संख्या 2 व 3 के पिता मांगीलाल जी के जिन्दा रहते हुए पुरी गुवाडी में उनका पुश्तैनी हक कानूनन नहीं बनता है फिर भी गलत शपथ पत्र के आधार पर दोनों ने अपने नाम पट्टा जारी करवा लिया जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत, रूद ने उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व निगराकार को कोई सूचना नहीं दी, जलसे आम चौराहे पर आम सूचना प्रकाशित नहीं की ना ही विधिवत् मिसल कायम की और मौके पर कब्जे के संबंध में भी कोई जांच किए बिना यह पट्टा जारी कर दिया जो विधि–विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर गैर निगराकार संख्या 1 द्वारा गैर निगराकार संख्या 2 व 3 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 670 दिनांक 05.09.2020 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 2 व 3 का मुख्य कथन यह रहा कि ग्राम पंचायत रूद द्वारा गैर निगराकार संख्या 2 व 3 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 670 दिनांक 05.09.2020 पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों की पालना कर जारी किया गया है विवादित गुवाडी गैर निगराकार संख्या 2 व 3 के आधिपत्य में होने से विधिवत आवेदन करने पर ग्राम पंचायत द्वारा मौके की रिपोर्ट मंगवाकर आपत्ति नोटिस जारी कर विधिवत् गैर निगराकार संख्या 2 व 3 के पक्ष में पट्टा जारी किया है। निगराकार द्वारा सभी तथ्य गलत वर्णित किए हैं। निगराकार के पति चम्पालाल जी थे

और ससुर अर्जुन जी थे तथा अर्जुन जी के चार पुत्र पन्नालाल, नानालाल, मांगीलाल एवं चम्पालाल है तथा उक्त गुवाडी उदयराम जी व अर्जुन जी के संयुक्त स्वामित्व की नहीं है। चारों भाईयों द्वारा किये गये बंटवाडे अनुसार विवादित गुवाडी अकेले मांगीलाल जी के हिस्से में आई थी तथा शेष भाई पन्नालाल व नानालाल को बंटवाडे में अलग मकान दिये तथा मृत्तक चम्पालाल को गांव जगपुरा में ही अलग मकान बंटवाडे में दिया गया था जिस पर निगराकार वर्तमान में काबिज है। निगराकार ने उसके पति चम्पालाल जी को उदयराम जी के गोद रखने का असत्य कथन किया है। विवादित गुवाडी जिसका पट्टा अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने गैर निगराकार संख्या 2 व 3 के पक्ष में जारी किया है वह मांगीलाल जी के हिस्से में आई और वर्तमान में गैर निगराकार संख्या 2 व 3 उस पर काबिज होकर आवासीय मकान में निवासरत है। विवादित गुवाडी मात्र 30 फीट चौडी है जिसमे मात्र एक परिवार ही निवास कर सकता है निगराकार ने शामलाती होने संबंधी तथ्य मनगढ़न्त अंकित किये हैं। गैर निगराकार संख्या 2 व 3 का उक्त विवादित गुवाडी पर कब्जा व निवास होने से विद्युत विभाग द्वारा गैर निगराकार भंवरलाल के नाम विद्युत कनेक्शन खाता संख्या 1721/0092 जारी कर रखा है जिसका उपयोग गैर निगराकारगण कर रहे हैं। इस प्रकार अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने पूर्ण जांच पडताल कर, पंचायती राज नियमों की पूर्ण पालना करते हुए गैर निगराकार संख्या 2 व 3 के पक्ष में विधिवत् पट्टा जारी किया है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावे।

हमने अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से प्राप्त अभिलेख एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार अधिवक्ता निगराकार ने उदयराम जी व अर्जुनलाल जी भाई होकर पट्टेशुदा विवादित गुवाडी/भूखण्ड उदयराम जी व अर्जुनलाल जी के संयुक्त स्वामित्व की होना बताते हुए उदयराम जी के कोई पुत्र नहीं होने से अर्जुनलाल जी की सहमति से उनके पुत्र व निगराकार के पति स्व. चम्पालाल जी को उदयराम जी के गोद रखने का कथन करते हुए आधी गुवाडी में निगराकार का हक व हिस्सा होने का कथन किया है किन्तु अपने कथन की पुष्टि में कोई ठोस दस्तावेजी

साक्ष्य/गोदनामा प्रस्तुत नहीं किया है जिससे अर्जुनलाल जी के पुत्र व निगराकार के पति स्व. चम्पालाल जी को उदयराम जी के गोद रखने संबंधी कथन की पुष्टि होती हो।

जहां अधिवक्ता निगराकार द्वारा अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की पालना नहीं करने, मौका निरीक्षण नहीं करने तथा आपत्तियों के संबंध में जलसे आम चौराहे पर सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं करने का कथन किया है वहां भी हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि इस न्यायालय में पेश अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत में गैर निगराकार संख्या 2 व 3 द्वारा आवेदन करने पर अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने गैर निगराकार संख्या 2 व 3 के पक्ष में पट्टा जारी करने से पूर्व मिसल संख्या 13 दिनांक 23.07.2020 कायम की है तथा भूखण्ड के चारों पड़ौसियों से अनापत्ति प्राप्त की है, तीन पंचों की कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की है साथ ही आक्षेप आमंत्रित करने हेतु अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने दिनांक 05.08.2020 को आपत्तियों के संबंध में नोटिस/सार्वजनिक सूचना पत्र भी जारी किया है जिस पर साक्ष्य स्वरूप ग्रामवासियान के हस्ताक्षर मौजूद हैं तथा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर दिनांक 05.09.2020 को उक्त पट्टा जारी किया है।

अधीनस्थ ग्राम पंचायत की मिसल में मौजूद पट्टा जारी करने से पूर्व बनाये गये मौका पर्चा दिनांक 05.08.2020 का अवलोकन किया गया जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अर्जुनलाल जी के चार पुत्र थे मांगीलाल, चम्पालाल, पन्नालाल एवं नानालाल तथा अर्जुनलाल जी के एक रिहायशी मकान एवं दो नोहरे थे जिनके हिस्से बंटवाडे से रिहायशी मकान मांगीलाल जी के हिस्से में आया जिसके पडौस पूर्व मेंः– रामेश्वर लाल जाट, पश्चिम मेंः– आम रास्ता, उत्तर मेंः– अनिल जाट का मकान एवं दक्षिण मेंः– माधवलाल जाट का मकान तथा नोहरा नम्बर 01 जो पन्नालाल एवं नानालाल के हिस्से में आया जिसके पड़ौस पूर्व मेंः– आम रास्ता, पश्चिम मेंः– आम रास्ता, उत्तर मेंः– भैरूलाल जाट एवं दक्षिण मेंः– शंकरलाल जाट का मकान इसी प्रकार नोहरा नम्बर 02 जो चम्पालाल के हिस्से में आया जिसके पडौस पूर्व मेंः– भंवरलाल जाट, पश्चिम मेंः– नानालाल जाट, उत्तर मेंः– आम रास्ता एवं दक्षिण मेंः– भंवरलाल जाट उक्त

प्रकरण संख्या 42/2020 (नि.पं.)
प्रेमदेवी विधवा चम्पालाल जाट निवासी जगपुरा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ बनाम ग्राम पंचायत रूद, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत रूद, तहसील राशमी वगैरा

बंटवाड़ा आज से करीब पच्चीस वर्ष पूर्व होना तथा सभी अपने–अपने हक–हिस्से अनुसार काबिज हो उपयोग–उपभोग करना बताया है। साथ ही उक्त रिपोर्ट में यह तथ्य भी अंकित किया है कि चम्पालाल की मृत्यु पश्चात् उनकी पत्नि प्रेमदेवी रेवाडा में ही निवास कर ही है तथा चम्पालाल के हक–हिस्से में आये नोहरे को चम्पालाल ने अपने जीवनकाल में ही लेहरू पिता घीसा जाट को उपयोग हेतु दे रखा है, जो प्रेमदेवी का हक–हिस्सा है। मांगीलाल जी के हक–हिस्से वाले रिहायशी मकान का पट्टा मांगीलाल जी की सहमति से उनके पुत्र भंवरलाल व सीताराम के नाम पैतृक पट्टा जारी करने की अभिशंषा की है।

अतः जहां तक निगराकार का कथन है कि मांगीलाल जी के जिन्दा रहते हुए पुरी गुवाडी में गैर निगराकार संख्या 2 व 3 का हक नहीं बनता है वहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने मौका पर्चा दिनांक 05.08.2020 में अंकितानुसार मांगीलाल जी की सहमति से उनके पुत्रों के नाम यह पट्टा जारी किया है।

निगराकार द्वारा केवल मात्र निगरानी में ग्राम पंचायत द्वारा अनियमितता के संबंध में किये गये कथन के आधार पर हम यह पट्टा निरस्त किया जाना उचित नहीं मानते हैं। साथ ही निगराकार ने अपनी निगरानी में अंकित अन्य तथ्यों को भी प्रमाणित नहीं कराया है तथा अपने विवादित गुवाडी/भूखण्ड पर कब्जे संबंधी कथन की भी पुष्टि नहीं कराई है जबकि गैर निगराकार संख्या 2 व 3 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं फोटोग्राफ्स् से उसके विवादित गुवाडी/भूखण्ड पर कब्जे की पुष्टि होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है तथा गैर निगराकार संख्या 2 व 3 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 670 दिनांक 05.09.2020 यथावत रखा जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(राकेश कुमार)